भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1937
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ

†**1937. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) जैसी खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं ने निवेश, स्वीकृत इकाइयों और रोजगार सृजन के अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं और क्या इनका उपयोग अनुमान के अनुसार हुआ है, यदि हां, तो परियोजनाओं की संख्या, स्थान और राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्थापित इकाइयों, मूल्य-संवर्धन और निर्यात सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य-निष्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समेकित प्रदर्शन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है, तथा योजना के परिणामों का मूल्यांकन क्या है और सरकार की किन भावी प्रस्तावों पर कार्य करने की योजना है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ) : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, अर्थात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना(पीएलआईएसएफ़पीआई) के ज़रिए इससे जुडी अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, एमओएफ़पीआई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है। ये तीनों योजनाएं ओडिशा के कृषि - जलवायु ज़ोन सहित पूरे देश में लागू की गई हैं।

पीएलआईएसएफ़पीआई स्कीम के तहत छोटे और मध्यम उद्यम की ज़्यादा भागीदारी और नई और मूल्य वर्धित उत्पाद श्रेणियों में विविधीकरण को आसान बनाने के लिए मदद दी जाती है। पीएलआईएसएफ़पीआई के तहत, एसएमई क्षेत्र में अभिनव/ जैविक उत्पाद के लिए 250 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। योजना का एक घटक मिलेट आधारित उत्पादों पर फोकस करता है, जिसका कुल परिव्यय 800 करोड़ रुपये है, जिसमें से 300 करोड़ रुपये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई)को दिए गए हैं। पीएलआईएसएफ़पीआई के तहत मंज़ूर एमएसएमई परियोजनाओं की जानकारी **अनुबंध-I** में दी गई है।

मंत्रालय, देश भर में विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए भावी उद्यमियों को संबंधित योजना के दिशानिर्देशों के हिसाब से वित्तीय मदद देता है। इन योजनाओं का मकसद खेत से रिटेल आउटलेट तक कुशल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ आधुनिक अवसंरचना बनाना है, जिसमें भंडारण, मूल्य संवर्धन, परिवहन वगैरह शामिल हैं, जिससे प्रसंस्करण स्तर बढ़े और प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात बढ़े। एमओएफ़पीआई द्वारा इन तीन स्कीम के तहत देश भर में मंज़ूर की गई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की राज्य-वार जानकारी **अनुबंध-II** में दी गई है।

सरकार के ऊपर दिए गए दखल से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिला, जो नीचे दिखाया गया है-

(i) इस क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2014-15 में 1.34 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2.24 लाख करोड़ रुपये (1 संशोधित अनुमान के अनुसार) हो गया है।

(ii) पिछले 11 सालों में इस सेक्टर में यूएसडी 7.33 बिलियन का एफ़डीआई इक्विटी प्रवाह हुआ है।

(iii) कृषि –निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा 2014-15 में 13.7% से बढ़कर 2024-25 में 20.4% हो गया है।

पीएमकेएसवाई ने अपने मकसद काफी हद तक हासिल कर लिए हैं और पीएमकेएसवाई की संबंधित स्कीमों के लिए किए गए मूल्यांकन अध्ययन से यह नतीजा निकला है कि किसानों को मदद वाली परियोजनाओं से काफी फायदा हुआ है। साल 2020 में मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (नब्स्कोंस) ने पीएमकेएसवाई के तहत एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया। इसमें अनुमान लगाया गया है कि स्कीम के तहत कैप्टिव परियोजनाओं से फार्मगेट कीमतों में 12.38% की बढ़ोतरी हुई है और हर परियोजना से 9500 से ज़्यादा किसानों को फायदा होने का अनुमान है। साल 2025 में मेसर्स क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीएमकेएसवाई के तहत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना सृजन योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया। इसमें अनुमान लगाया गया है कि मंज़ूर परियोजनाओं के चालू होने पर 2.5 लाख किसानों को फायदा होगा और 90,000 प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलेंगे। साल 2025 में मेसर्स बीडीओ इंडिया एलएलपी ने पीएमकेएसवाई के तहत खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार का मूल्यांकन अध्ययन किया। इससे 1.87 लाख किसानों को फ़ायदा होने और मंज़ूर परियोजनाओं के चालू होने पर 2,23,919 प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलने का अनुमान है।

साल 2025 में मेसर्स बीडीओ इंडिया एलएलपी द्वारा पीएमएफ़एमई स्कीम के मूल्यांकन अध्ययन में बताया गया है कि स्कीम देश में खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमिता, मूल्य संवर्धन, औपचारिकता कम बर्बादी, निवेश और रोज़गार को सहायता करने में सक्षम रही है और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए बेहतर जीविका और आय हासिल हुई है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु "पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1937 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएलआईएसएफ़आई के अंतर्गत अनुमोदित एमएसएमई इकाइयों का विवरण

क्र सं	राज्य	लाभार्थी का नाम	क्षेत्र	ज़िला
1	महाराष्ट्र	ड्रम्स फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- अभिनव	पुणे
2	केरल	अकाय नेचुरल इंग्रीडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- अभिनव	एर्नाकुलम
3	मध्य प्रदेश	आर्यन नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	मंडला
4	हिमाचल प्रदेश	बैग्रिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	सोलन
5	हरियाणा	बीटीडब्ल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	सोनीपत
6	महाराष्ट्र	अचल केसु प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	कोल्हापुर
7	तमिलनाडु	क्रिस्टी सुपर फूड्स प्राइवेट सीमित	मिलेट एमएसएमई	नमक्कल
8	आंध्र प्रदेश	कोस्टल फूड्स	मिलेट एमएसएमई	गुंटूर
9	महाराष्ट्र	फजलानी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	मुंबई
10	महाराष्ट्र	एनबी लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	नागपुर
11	केरल	एलीट ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	त्रिशूर
12	मध्य प्रदेश	एलीट ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	इंदौर
13	महाराष्ट्र	शांति एग्रो इंडस्ट्रीज	श्रेणी 2- जैविक	सिंधुदुर्ग
14	तेलंगाना	हर्ष बेकर्स	मिलेट एमएसएमई	हैदराबाद
15	गुजरात	एचएसएम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	राजकोट
16	हरियाणा	एलआरएम स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	सोनीपत
17	महाराष्ट्र	चोर्डिया फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	सतारा
18	उत्तर प्रदेश	मेहरोत्रा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	गौतम बुद्ध नगर
19	हिमाचल प्रदेश	मिनची माउंटेन	श्रेणी 2- जैविक	शिमला
20	महाराष्ट्र	अर्ली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	पुणे
21	महाराष्ट्र	एचडब्ल्यू वेलनेस सॉल्यूशंस	मिलेट एमएसएमई	पुणे
22	उत्तर प्रदेश	ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	बाराबंकी

23	तेलंगाना	पहल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	रंगारेड्डी
24	पश्चिम बंगाल	पर्वता फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	दार्जिलिंग
25	कर्नाटक	फलाडा एग्रो रिसर्च फ़ाउंडेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	बेंगलुरु
26	तमिलनाडु	रेबाला न्यूट्री फूडी प्राइवेट सीमित	मिलेट एमएसएमई	नमक्कल
27	असम	सना एंटरप्राइजेज	मिलेट एमएसएमई	कामरूप
28	गुजरात	सत्वम न्यूट्रीफूड्स लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	साबरकांठा
29	महाराष्ट्र	नागशेतिया इंडस्ट्रीज	मिलेट एमएसएमई	नासिक
30	कर्नाटक	स्प्राउटलाइफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	टुमकुर
31	कर्नाटक	स्प्राउटलाइफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	बेंगलुरु
32	तमिलनाडु	स्प्राउटलाइफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	नमक्कल
33	तमिल नाडु	श्री वेलावन एग्रो	मिलेट एमएसएमई	तिरुचिरापल्ली
34	गुजरात	सुप्रीम न्यूट्री ग्रेन प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	राजकोट
35	आंध्र प्रदेश	ट्रेटा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	चितूर
36	उत्तराखंड	ट्रेटा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	उधम सिंह नगर
37	उत्तराखंड	ट्रेटा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	उधम सिंह नगर
38	उत्तराखंड	ट्रेटा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	उधम सिंह नगर
39	केरल	वेस्टर्न इंडिया केसु कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	कोल्लम
40	तमिलनाडु	वेस्टर्न इंडिया काजू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2- जैविक	कन्याकुमारी
41	कर्नाटक	होलसम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	बेंगलुरु
42	तमिलनाडु	होलसम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	तिरुचेंगोडे
43	तमिलनाडु	होलसम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	नमक्कल
44	तमिलनाडु	होलसम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	नमक्कल
45	उत्तराखंड	होलसम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	उधम सिंह नगर
46	गुजरात	यशील फूड्स एलएलपी	मिलेट एमएसएमई	आनंद

*****

अनुबंध- II

दिनांक11 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु "पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1937 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजना की शुरुआत से
पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफ़पीआई और पीएमएफ़एमई योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पीएमएफएमई के अंतर्गत स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की संख्या	पीएलआईएसएफ़पीआई के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर अनुमोदित आवेदनों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	2	18	0
2.	आंध्र प्रदेश	76	8087	38
3.	अरूणाचल प्रदेश	12	136	0
4.	असम	102	4600	4
5.	बिहार	15	27723	7
6.	चंडीगढ़	0	5	0
7.	छत्तीसगढ	10	1280	1
8.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	1	12	0
9.	दिल्ली	22	363	0
10.	गोवा	2	137	1
11।	गुजरात	109	1010	32
12.	हरियाणा	99	1633	9
13.	हिमाचल प्रदेश	44	2537	4
14.	जम्मू और कश्मीर	41	1938	2
15.	झारखंड	2	4250	2
16.	कर्नाटक	98	7724	21
17.	केरल	54	7937	10

18.	लद्दाख	0	90	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	51	11944	10
21.	महाराष्ट्र	244	26172	41
22.	मणिपुर	8	308	0
23.	मेघालय	10	227	0
24.	मिजोरम	4	56	0
25.	नागालैंड	4	429	0
26.	ओडिशा	30	2732	5
27.	पुडुचेरी	2	192	0
28.	पंजाब	76	3021	9
29.	राजस्थान	55	1351	6
30.	सिक्किम	1	65	0
31.	तमिलनाडु	156	17210	20
32.	तेलंगाना	67	7266	13
33.	त्रिपुरा	9	248	0
34.	उत्तर प्रदेश	99	1037	27
35.	उत्तराखंड	59	20575	7
36.	पश्चिम बंगाल	55	431	9

*****